डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण
(Digital Crop Survey)

वेरिफायर (तहसीलदार)

आयुक्त भू-अभिलेख मध्य प्रदेश

1. डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण - परिचय

- ❑ स्थानीय युवा द्वारा 45 दिवस में सर्वे
- ❑ सर्वे हेतु मोबाईल एप
- ❑ पार्सल जियो फेंस से खेत में उपस्थिति अनिवार्य
- ❑ प्रत्येक फसल का फोटो अनिवार्य
- ❑ आधुनिक तकनीक से फोटो की तुलना
- ❑ आधुनिक तकनीक सैटैलाईट इमेज से संभावित फसल
- ❑ मोबाइल एप एवं AI/ML से प्राप्त डाटा की तुलना
- ❑ भूमि उपयोग कृषि/ अकृषि/अन्य जानकारी – व्यपवर्तन लक्ष्य हेतु

2. डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण - लक्ष्य

- ❑ फसल क्षेत्र की सटीक जानकारी
- ❑ निजी एवं सरकारी भूमि की सटीक जानकारी
- ❑ भूमि उपयोग कृषि/ अकृषि/अन्य जानकारी – व्यपवर्तन लक्ष्य हेतु
- ❑ आधुनिक तकनीक का उपयोग
  - ❑ आधुनिक तकनीक से फसल के फोटो की तुलना
  - ❑ पार्सल जियो फेंस से खेत में उपस्थिति अनिवार्य
  - ❑ सैटैलाईट इमेज (AI /ML) से संभावित फसल
- ❑ अन्य विभागों को फसल डाटा की उपलब्धता जैसे - ई-उपार्जन

3. स्थानीय युवा (सर्वेयर) - परिचय

पात्रता

- स्थानीय युवा /निकटतम ग्राम पंचायत के निवासी
- न्यूनतम शर्त : एंड्रॉइड वर्जन 6+ वाला स्मार्टफोन जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो
- सर्वेयर आयु सीमा :18 से 40 वर्ष
- आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो

पंजीकरण प्रक्रिया

आधार OTP से पंजीकरण भू-लेख पोर्टल के माध्यम से

↓

पटवारी द्वारा ग्राम आवंटन

↓

स्थानीय युवा द्वारा SAARA एप्प में OTP से लॉगिन कर सर्वे कार्य

4. जियोफेंसिंग (पार्सल लेवल) तकनीक का परिचय

- जियोफेंसिंग एक आभासीय भौगोलिक सीमा है |
- पार्सल जियोफेंसिंग से तात्पर्य भूमि की चतुर्सीमा से है |
- इसका उपयोग खेत में उपस्थिति सुनिश्चित करने से है |

5. डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में मानव एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग

मोबाईल एप द्वारा प्राप्त डाटा

- किसान
- सर्वेयर (स्थानीय युवा)
- सुपरवाइज़र (पटवारी)
- वैरीफायर (तहसीलदार)
- इंस्पेक्शन ऑफिसर

आधुनिक तकनीक से प्राप्त डाटा

- सैटेलाईन इमेज (AI/ML) द्वारा संभावित फसल
- एप से लिए गए फोटो से फसल पहचान
- पार्सल जियो फेंस से खेत में उपस्थिति
- विसंगति – एप एवं आधुनिक तकनीक से प्राप्त डाटा की तुलना

6. डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण हेतु विस्तृत प्रक्रिया

1. स्थानीय युवा पंजीयन (MP Bhulekh Portal)
2. पटवारी द्वारा ग्राम आवंटन (MP Bhulekh Portal)
3. स्थानीय युवा द्वारा फसल सर्वेक्षण (SAARA App)
   किसान द्वारा MP Kisan App से सर्वेक्षण
4. सुपरवाइजर द्वारा सहमति/ असहमति दर्ज़ (SAARA App/ Web) एवं 1% विसंगति डाटा का फील्ड सत्यापन (SAARA App)
5. असहमत डाटा का स्थानीय युवा द्वारा पुनरावलोकन एवं सर्वेक्षण (SAARA App)
6. किसान द्वारा आपत्ति दर्ज़ एवं निराकरण (MP Kisan App)
7. वेरिफायर (तहसीलदार) द्वारा प्रत्येक ग्राम में 1% सर्वे का परीक्षण (SAARA App/ Web)
8. निरीक्षण अधिकारी द्वारा 20% ग्राम का परीक्षण (SAARA App/ Web)
9. फसल सर्वेक्षण का अंतिम अनुमोदन
10. फसल अद्यतन MP BHULEKH Portal
11. स्थानीय युवा को आधार से लिंक बैंक खाता में भुगतान

7. डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण (खरीफ 2024) की तय समय-सीमा

बिंदु	दिनांक से	दिनांक तक
सर्वेयर पंजीयन		10/07/2024
समस्त प्रशिक्षण		25/07/2024
किसान गिरदावरी	01/08/2024	15/09/2024
सर्वेयर क्रॉप सर्वे	01/08/2024	15/09/2024
सुपरवाइजर सत्यापन		20/09/2024
किसान दावा/ आपत्ति		25/09/2024
दावा/ आपत्ति निराकरण		30/09/2024
वेरिफायर अनुमोदन	10/09/2024	30/09/2024
डिजिटल क्रॉप सर्वे जांच कार्य	10/09/2024	30/09/2024
जांच कार्य का अंतिम अनुमोदन		30/09/2024

सारा एप के माध्यम से –

तहसीलदार द्वारा फसल सत्यापन की प्रक्रिया

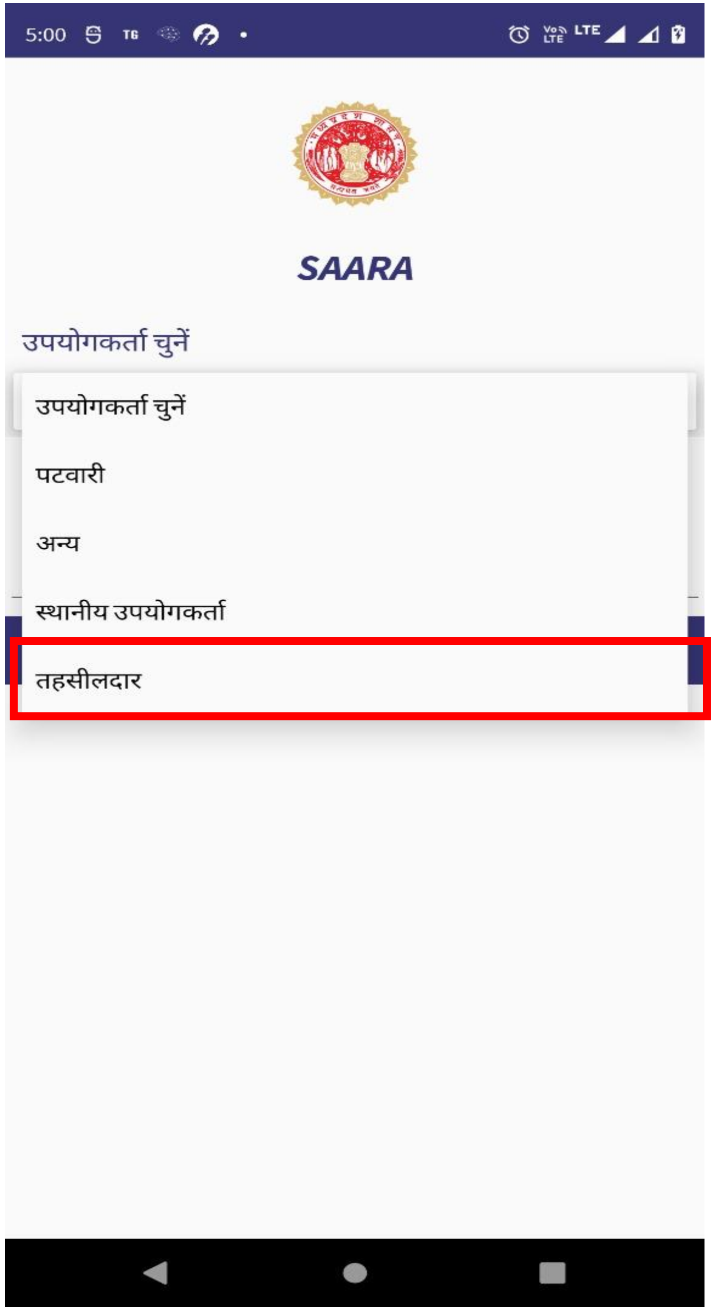

- तहसीलदार सारा मोबाइल एप का अपडेट वर्ज़न प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे |
- तत्पश्चात सारा एप में तहसीलदार उपयोगकर्ता को चुनकर वेब जीआईएस से प्राप्त यूजर आइडी का प्रयोग कर OTP दर्ज कर लॉग इन करेंगे |

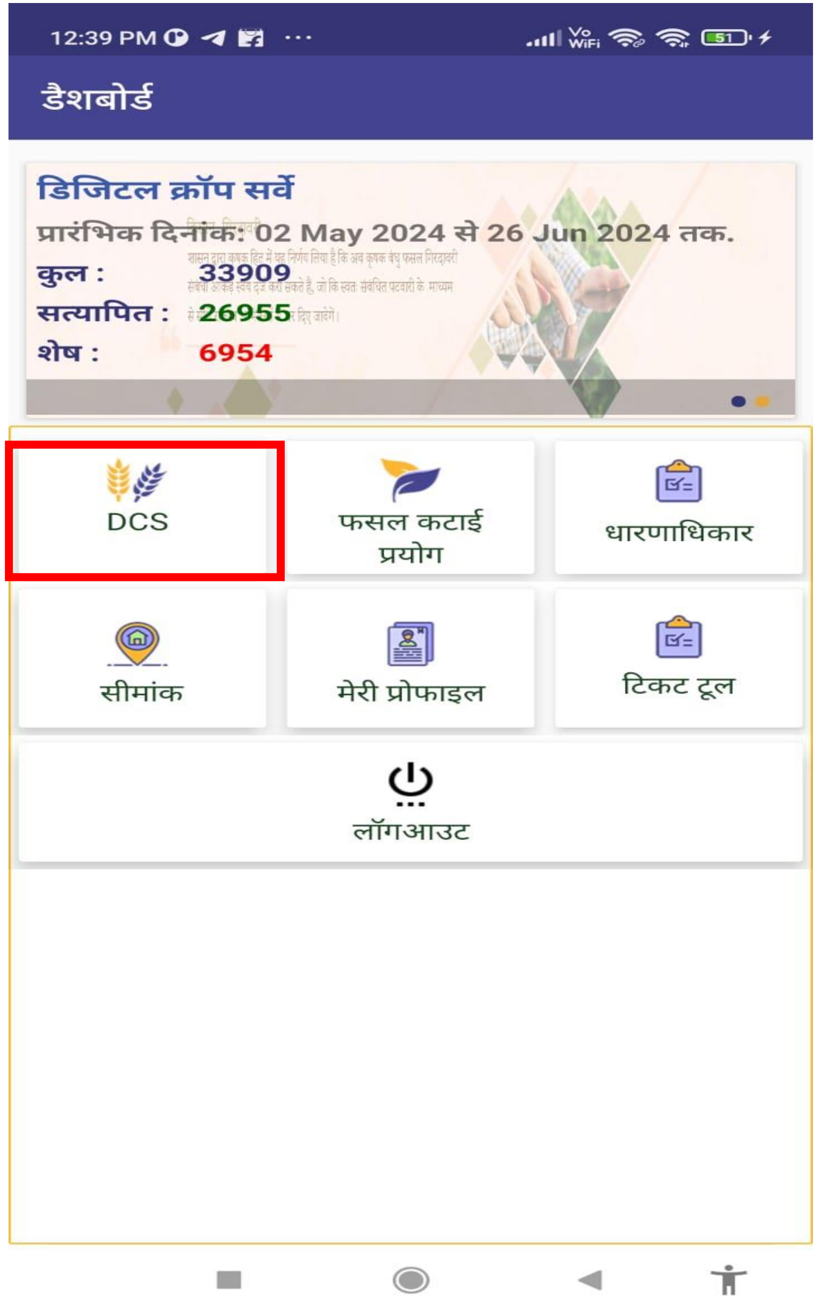

लॉग इन करने के पश्चात उनका डैशबोर्ड इस प्रकार से दिखेगा|

फसल सत्यापन करने के लिए “DCS ” बटन पर क्लिक करेंगे |

डाउनलोड बटन पर क्लिक करके गाँव का डाटा डाउनलोड कर लें|

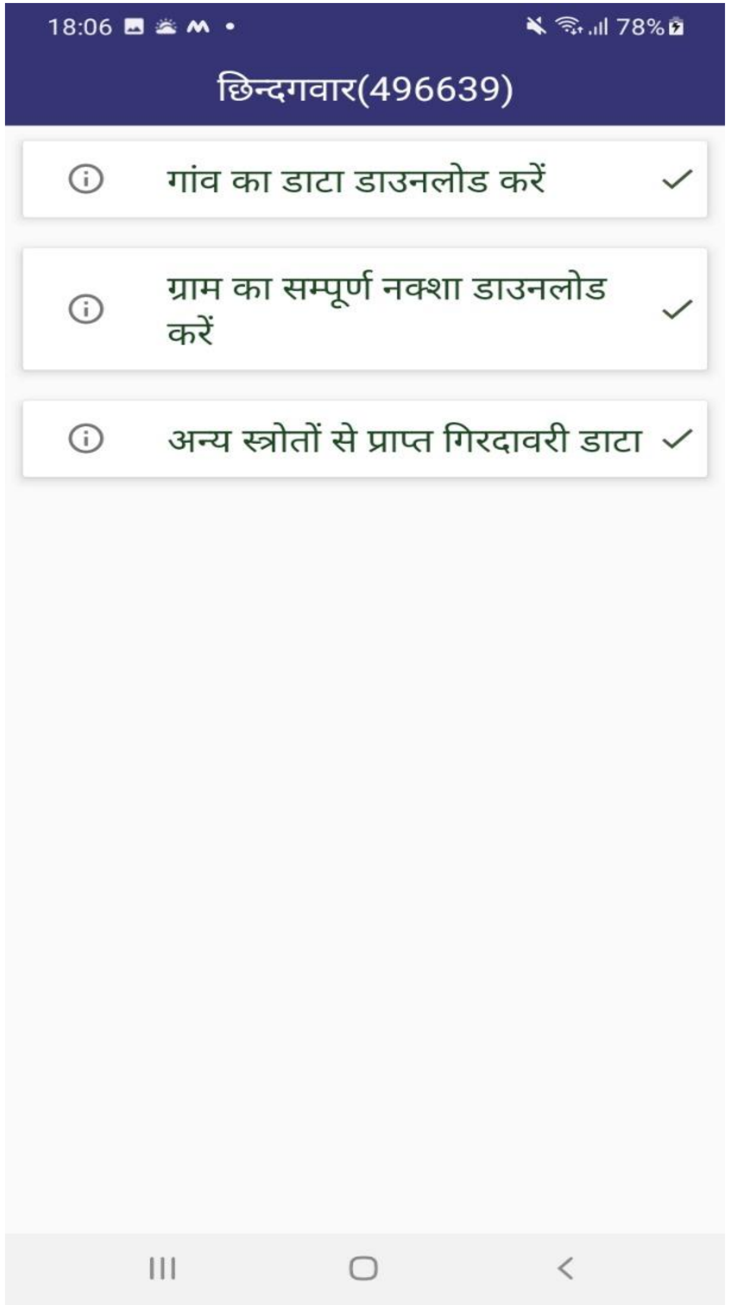

डाटा डाउनलोड होने के उपरांत बाहर आकर क्रॉप सत्यापन बटन पर क्लिक कर ग्राम को चुनें|

❖ ग्राम पर क्लिक करने के उपरांत आवंटित खसरे "लंबित खसरे " में दिखने लगेंगे|

स्थिति 1 - तहसीलदार जब पटवारी द्वारा भेजे गए डाटा से सहमत होंगे

तहसीलदार लंबित खसरे में जब किसी खसरे पर क्लिक करेंगे उस स्थिति में यह स्क्रीन आएगी|

स्क्रीन में तहसीलदार को अन्य स्त्रोत्र जैसे किसान, AI/ML, सर्वेयर का डाटा प्रदर्शित होगा किन्तु तहसीलदार को पटवारी के डाटा को ही सत्यापित करना है |

पटवारी द्वारा भेजे गए खसरे से सहमत होने की स्थिति में पटवारी से सहमत बटन पर क्लिक करें|

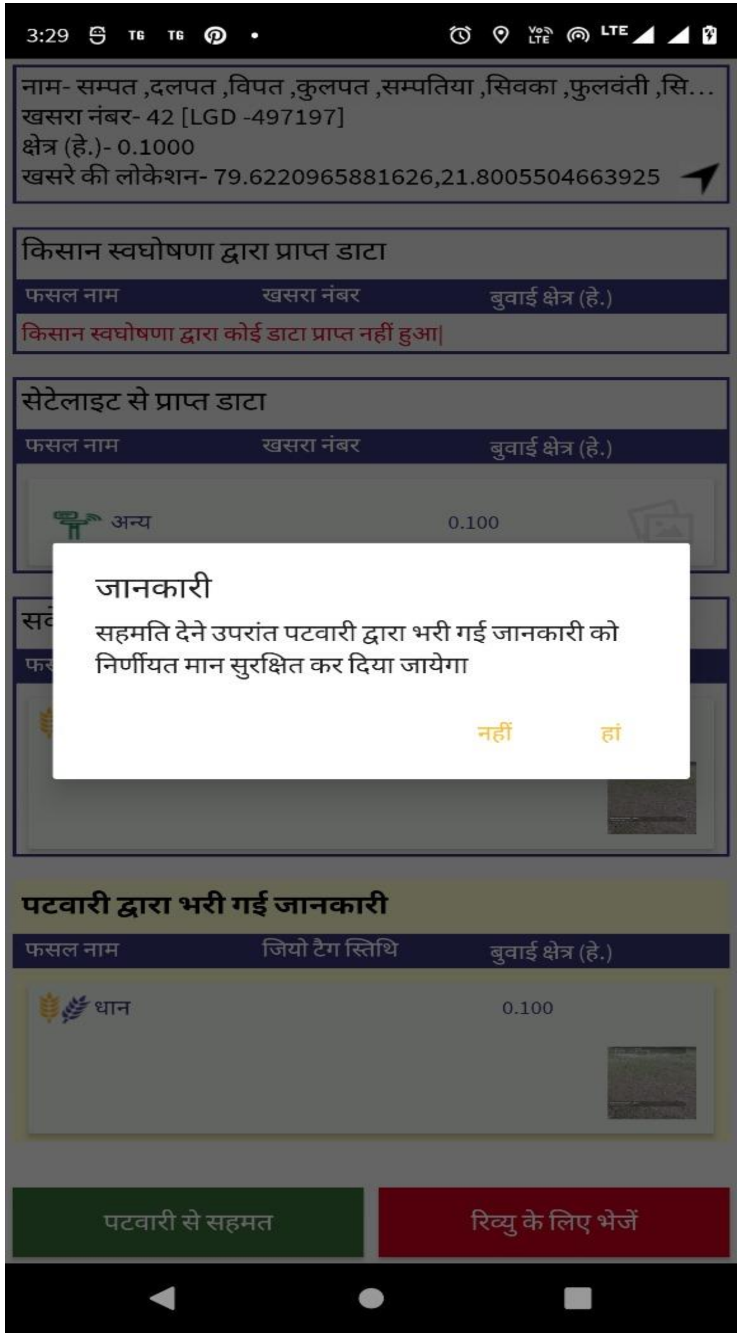

- ❖ सहमत होने पर इस तरह का पॉपअप मेसेज दिखाई देगा जिसमे हाँ पर क्लिक करना होगा |
- ❖ तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये गए खसरे "स्वीकृत खसरे" टैब में दिखेंगे|

स्थिति 2 - तहसीलदार जब पटवारी द्वारा भेजे गए डाटा से असहमत होंगे

- ❖अगर तहसीलदार पटवारी द्वारा भरे गए खसरे की जानकारी से असहमत है उस स्थिति में वह “रिव्यु के लिए भेजें” बटन पर क्लिक करके पटवारी को पुनः सर्वेक्षण के लिए भेज सकते हैं |
- ❖तहसीलदार किसी खसरे को एक ही बार पटवारी को रिव्यु के लिए भेज सकते हैं|

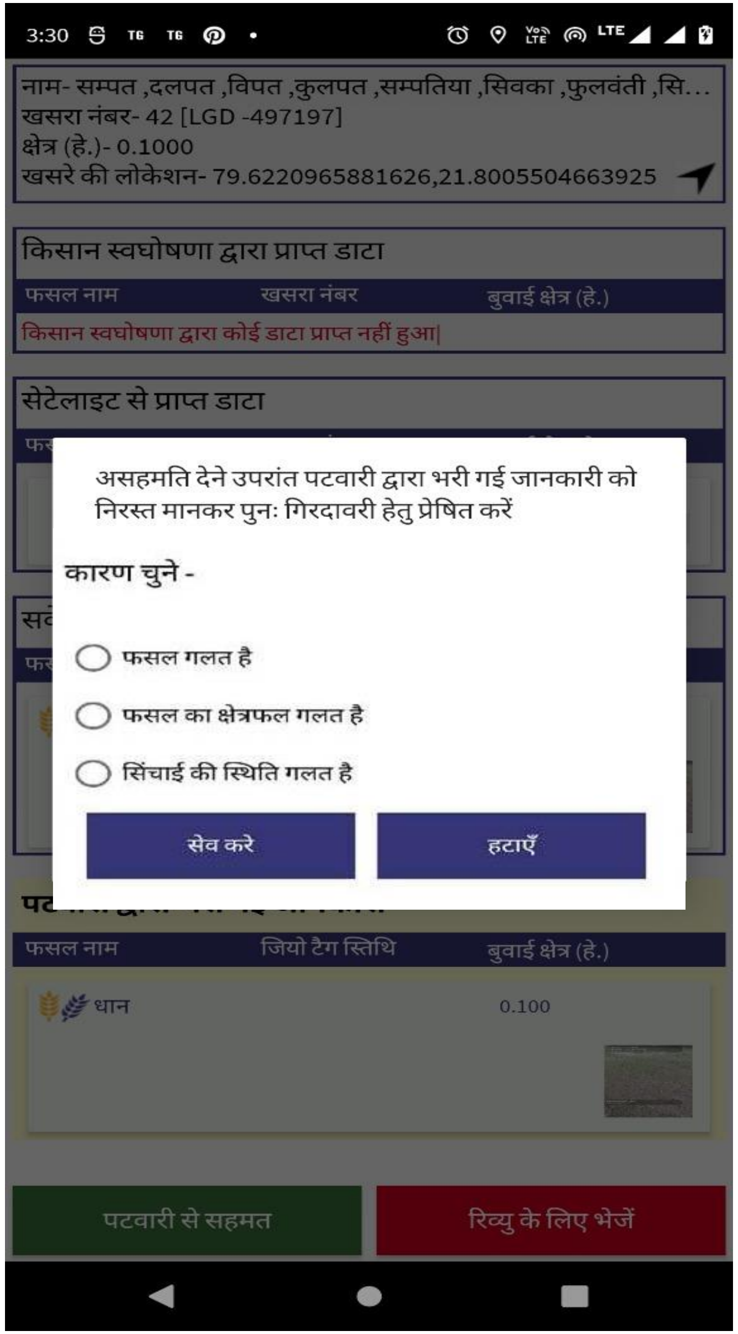

- "रिव्यु के लिए भेजें" बटन पर क्लिक करने के उपरांत तहसीलदार को इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी |
- रिव्यू का कारण चुनने के उपरांत सेव करें बटन पर क्लिक करें|
- जिस खसरे को तहसीलदार रिव्यू के लिए भेजेंगे वह खसरा "पुनर्विलोकन हेतु प्रेषित" टैब में प्रदर्शित होने लगेंगे|

स्थिति 3 - तहसीलदार द्वारा पटवारी के रिव्यू डाटा से असहमति होने के उपरांत फसल सर्वेक्षण की प्रक्रिया

❖ पटवारी रिव्यू के लिए भेजे खसरों पर जब पुनः फसल का डाटा अपलोड करेंगे उसे सत्यापित करने के लिए तहसीलदार को पुनरावलोकन टैब के खसरों पर क्लिक करना होगा |

❖ अगर तहसीलदार पटवारी के डाटा से असहमत है तो उन्हे "स्वयं दर्ज करें" बटन पर क्लिक करना होगा एवं पार्सल लेवल जियो फेन्स के मध्यम से स्वयं फसल की जानकारी दर्ज करनी होगी |

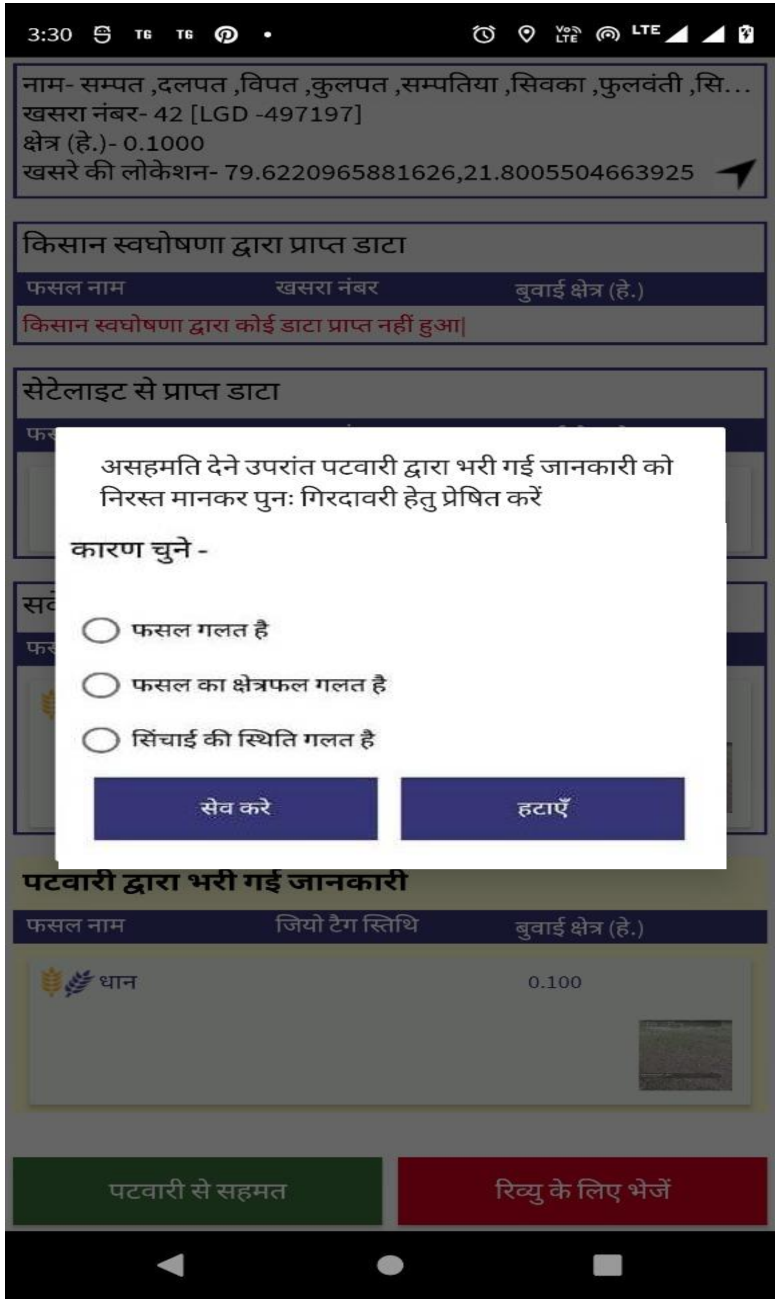

- ❖ तहसीलदार द्वारा “स्वयं दर्ज करें” बटन पर क्लिक करने के उपरांत, असहमति का कारण चुनकर सेव बटन पर क्लिक करना होगा |

- ❖ उसके उपरांत वह खसरा “पुनरावलोकन हेतु प्रेषित” टैब से हट जायेग एवं फसल सर्वेक्षण की स्क्रीन स्वतः परदर्शित होने लगेगी |

- ❖ तहसीलदार को स्वयं दर्ज करें खसरों की जानकारी पार्सल लेवल जियो फेन्स के मध्यम से एप द्वारा दर्ज करनी होगी अन्यथा खसरे अस्वीकृत नहीं होंगे |

❖ स्वयं दर्ज करें बटन पर क्लिक करने के उपरांत तहसीलदार को इस तरह से खसरे का नक्शा प्रदर्शित होगा एवं खसरे से अनुमानित दूरी भी प्रदर्शित होगी | खसरे की सीमा के बाहर दूरी लाल रंग में दिखाई देगी |

❖ खसरे की सीमा में प्रवेश करने के उपरांत खसरे से दूरी हरे रंग में स्वतः प्रदर्शित होगी | जब तक तहसीलदार सीमा के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, फसल दर्ज नहीं कर सकेंगे | फसल दर्ज करने के उपरांत उन्हे फसल की फोटो भी खिंचनी होगी |

अगर प्रदर्शित खसरा सही है उस स्तिथि में –

- पॉइंट 1 किसान का मोबाइल नंबर भरें|
- पॉइंट 2 से खसरे ही लोकेशन पता कर सकते हैं|
- पॉइंट 3 से गूगल मैप द्वारा उस लोकेशन (खसरे) तक आप नेविगेट कर के जा सकते हैं|
- पॉइंट 4 के उपयोग से नक्शा रिफ्रेश होगा |
- नई फसल जोड़ने के लिए मोसमी फसलें, वार्षिक फसलें, फलोद्यान/कृषि वानिकी या रिक्त भूमि में से किसी एक पर क्लिक करें|

❖ मौसमी फसल पर क्लिक करने पर यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी | तहसीलदार को स्क्रीन पर दिए गए सभी 10 पॉइंट्स को भरना होगा |

- 1- फसल का नाम खोजें
- 2- फसल का नाम
- 3- फसल की विधि
- 4- फसल की किस्म
- 5- बीज के प्रकार
- 6 - फसल प्रयोजन (बीज / दाल / सब्जी)
- 7- जल श्रोत
- 8- फसल की फोटो 1* खीचना अनिवार्य
- 9- बुआई का दिनांक भरें|
- 10- भरी हुई फसल को जाँच लें और जोड़े बटन से सभी जानकारी को जोड़े|

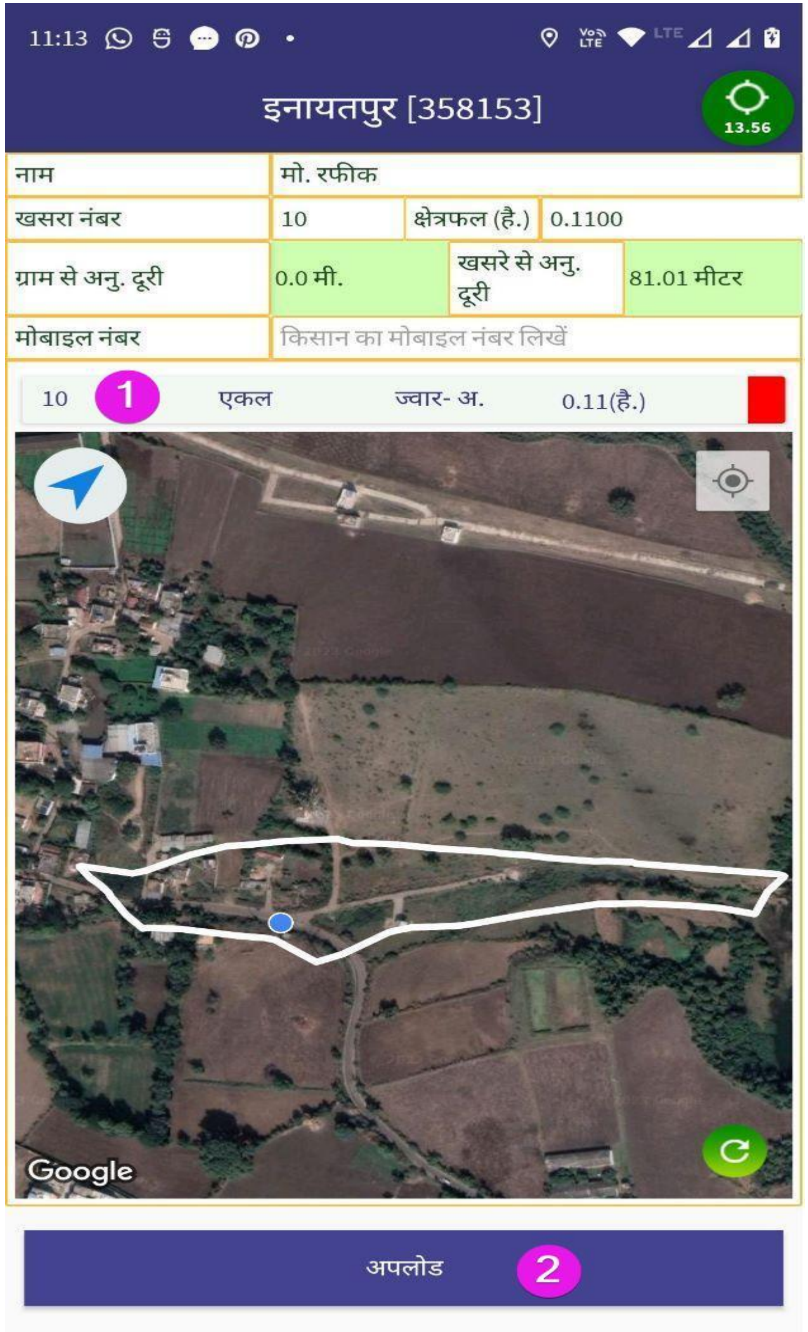

- ❖ यदि तहसीलदार को लगता है की फसल गलत दर्ज कर दी गई है तो पॉइंट 1 में वह डिलीट बटन को क्लिक करके उसे हटा सकता है, उसके बाद फिर से फसल की जानकारी को अपलोड कर सकता है |

- ❖ पॉइंट 2- अपलोड बटन को दबा कर भरी हुई जानकारी को फाइनल अपलोड किया जाता है |

सारा पोर्टल के माध्यम से –

तहसीलदार द्वारा फसल सत्यापन की प्रक्रिया

- ❖ तहसीलदार https://saara.mp.gov.in/ की वेबसाइट पर लॉग इन करें|
- ❖ लॉगिन करने के लिए वेब जीआईएस से प्राप्त यूजर आइडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करें |

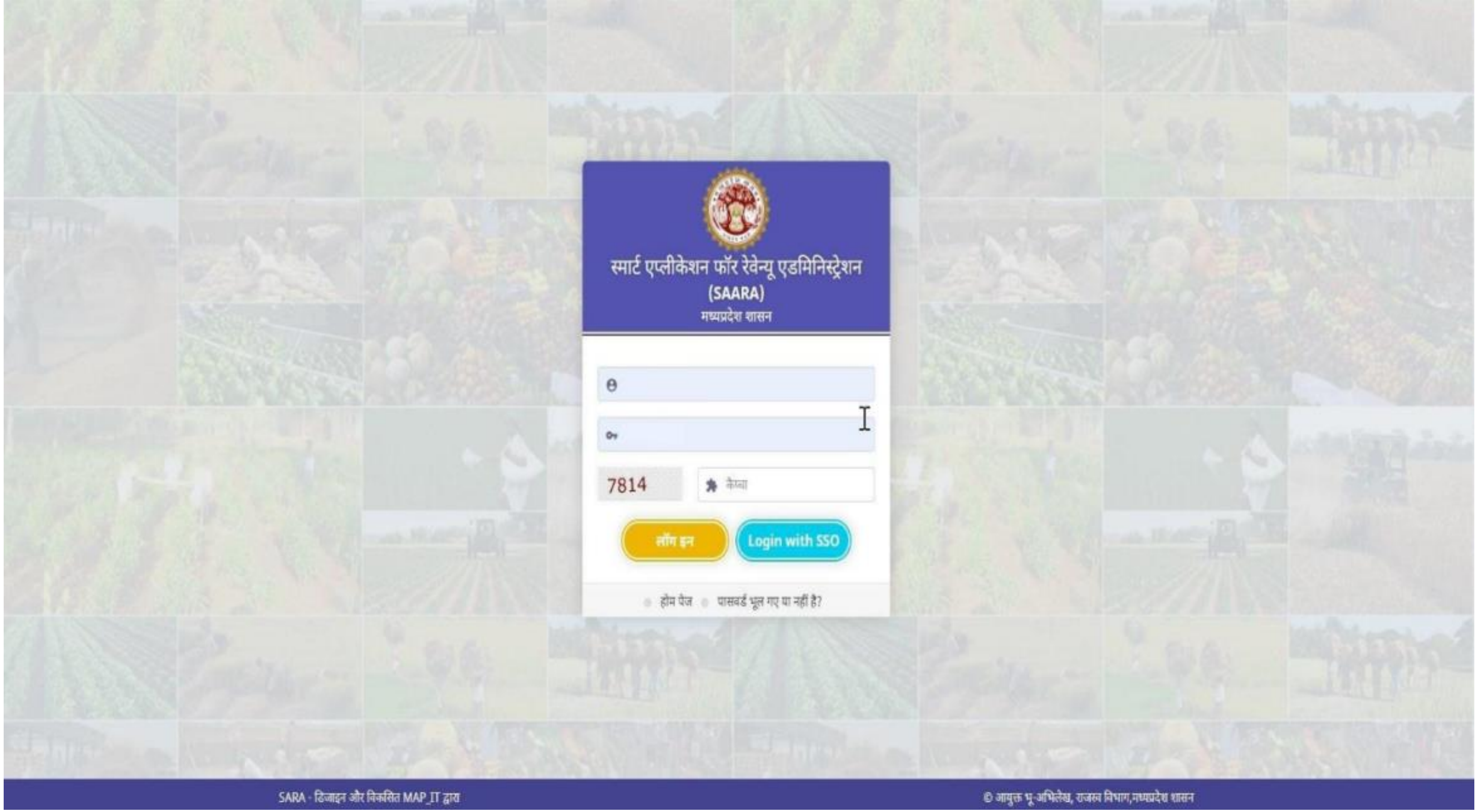

- प्राप्त यूजर आइडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करने के पश्चात डैशबोर्ड इस प्रकार से प्रदर्शित होगा|
- तहसीलदार को वेरीफायर एक्टिविटी की लिंक पर क्लिक करना होगा|

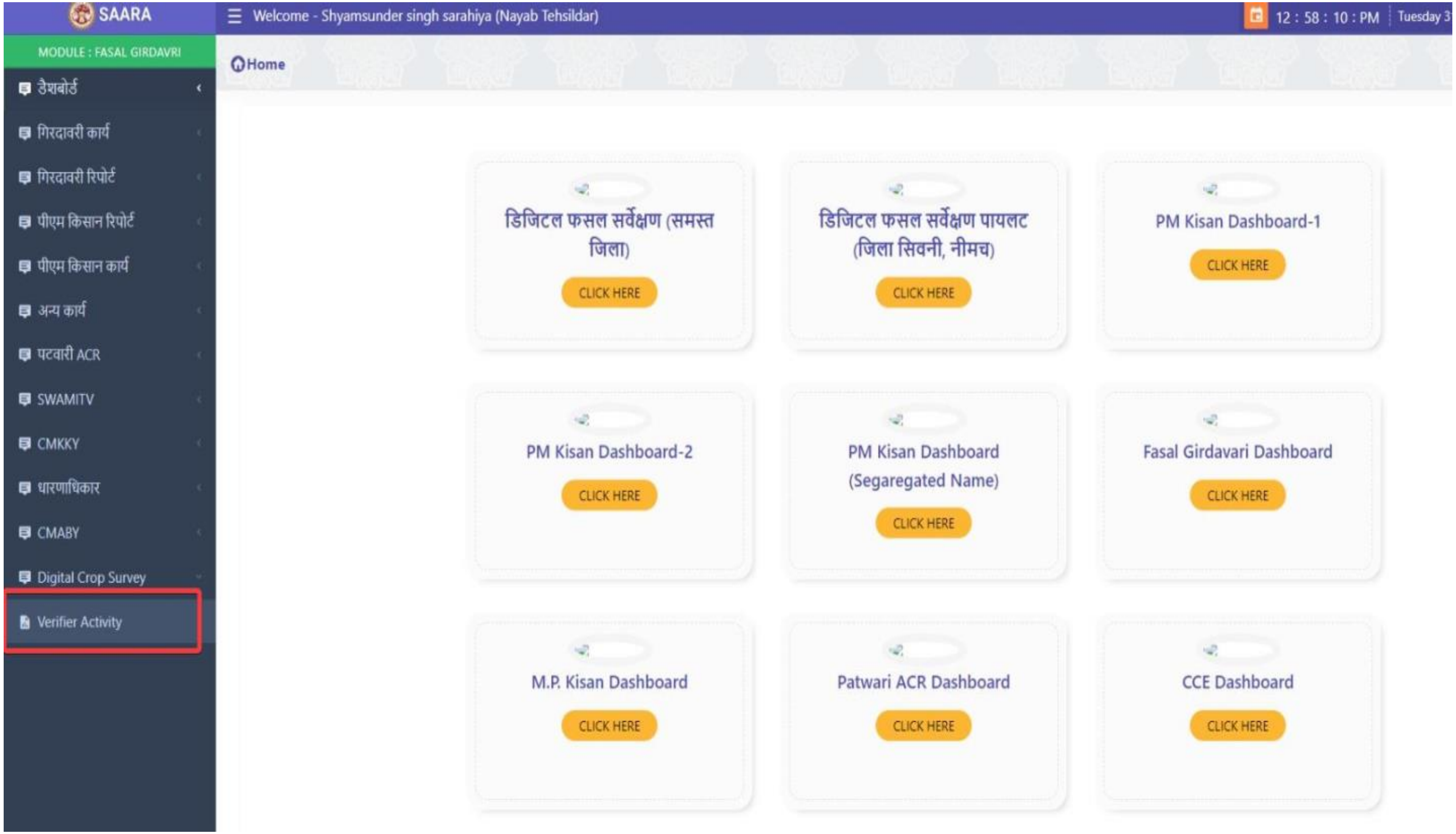

- तहसीलदार को डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्य में “केवल आबंटित खसरे” खसरे में सिस्टम से प्राप्त हर ग्राम के 1 % खसरे प्रदर्शित होंगे |
- ग्राम का चयन करके शो रिकार्ड्स बटन पर क्लिक करने के पश्चात डैश्बोर्ड मे रेकॉर्ड्स प्रदर्शित होने लगेंगे |

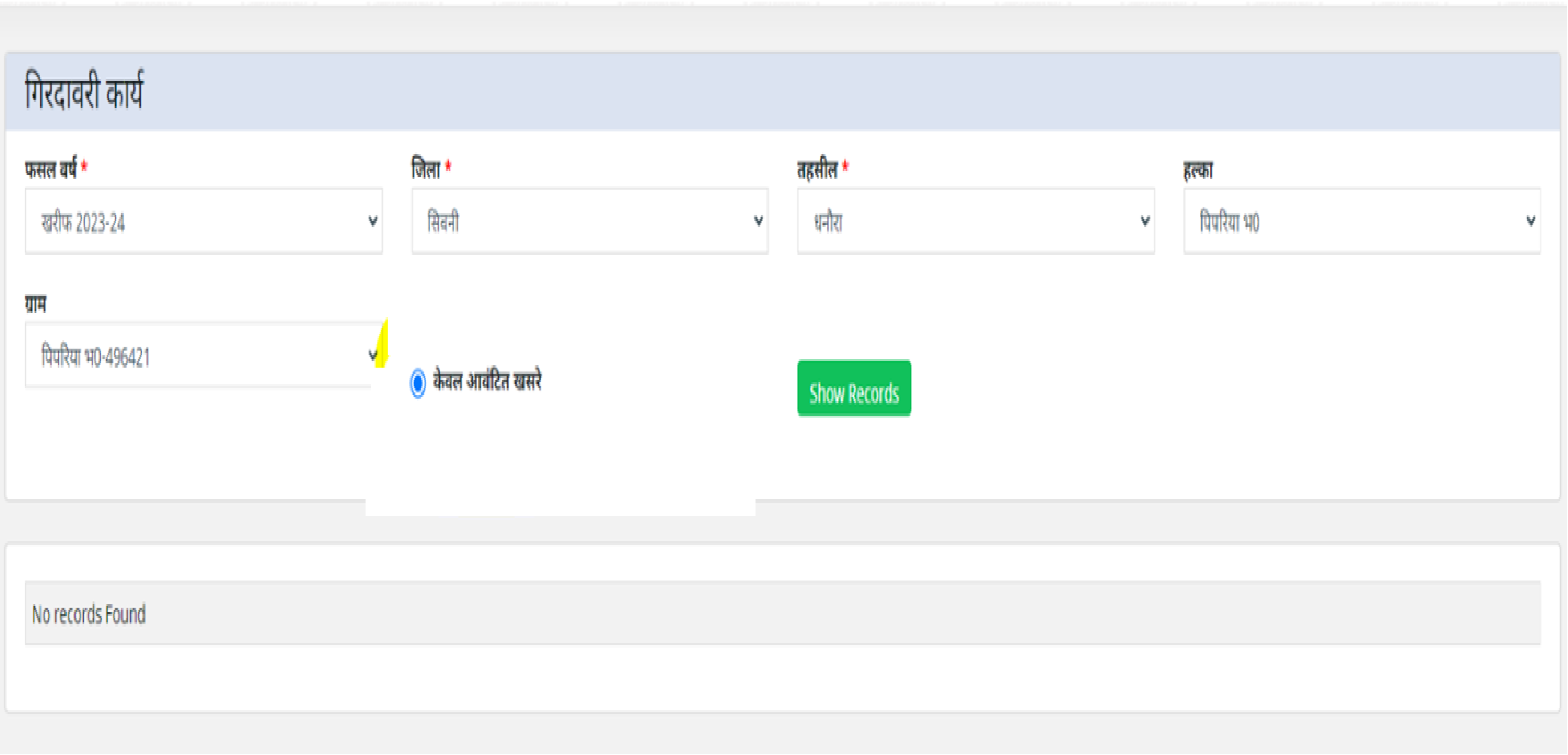

- **कुल खसरे** – तहसीलदार को आवंटित खसरे दिखेंगे |
- **समीक्षा हेतु लंबित खसरे** – तहसीलदार द्वारा जिन खसरों का सत्यापन नहीं किया गया है वो यहाँ दिखेंगे
- **सत्यापित किया गया** – तहसीलदार द्वारा जिन खसरों का सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है उन खसरों का रिकार्ड यहाँ देखने को मिलेगा
- **पुन: कार्य हेतु भेज गया** – तहसीलदार द्वारा जिन खसरों को सत्यापन उपरांत पटवारी को पुनरावलोकन के लिए भेज गया है उन खसरों का रेकॉर्ड् यहाँ देखने को मिलेगा
- **अस्वीकार्य किया गया** – तहसीलदार द्वारा जिन खसरों को पुनरावलोकन उपरांत स्वयं द्वारा दर्ज करने का निर्णय लिया गया उन खसरों का रिकार्ड यहाँ देखने को मिलेगा
- **रिव्यू पश्चांत प्राप्त** – तहसीलदार द्वारा पटवारी को पुनरावलोकन के लिए भेजे गए खसरों से प्राप्त रिकार्ड यहाँ देखने को मिलेगा |
- **रिव्यू पश्चात अनुमोदित** – तहसीलदार द्वारा पटवारी को पुनरावलोकन के लिए भेजे गए खसरों को सत्यापित करने के उपरांत उन खसरों का रिकार्ड यहाँ देखने को मिलेगा
- **रिव्यू पश्चात अनुमोदन हेतु लंबित** – तहसीलदार द्वारा पुनरावलोकन के लिए भेजे गए वो खसरे जिनका फसल सर्वेक्षण पटवारी ने नहीं किया उनका रिकार्ड यहाँ देखने को मिलेगा
- **रिव्यू पश्चात स्वयं द्वारा अपलोड** – तहसीलदार द्वारा अस्वीकार्य किए गए खसरे को स्वयं द्वारा दर्ज करने के उपरांत रिकार्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा |

डैशबोर्ड में सभी कार्य करने हेतु इस प्रकार से रेकॉर्ड्स प्रदर्शित होंगे|

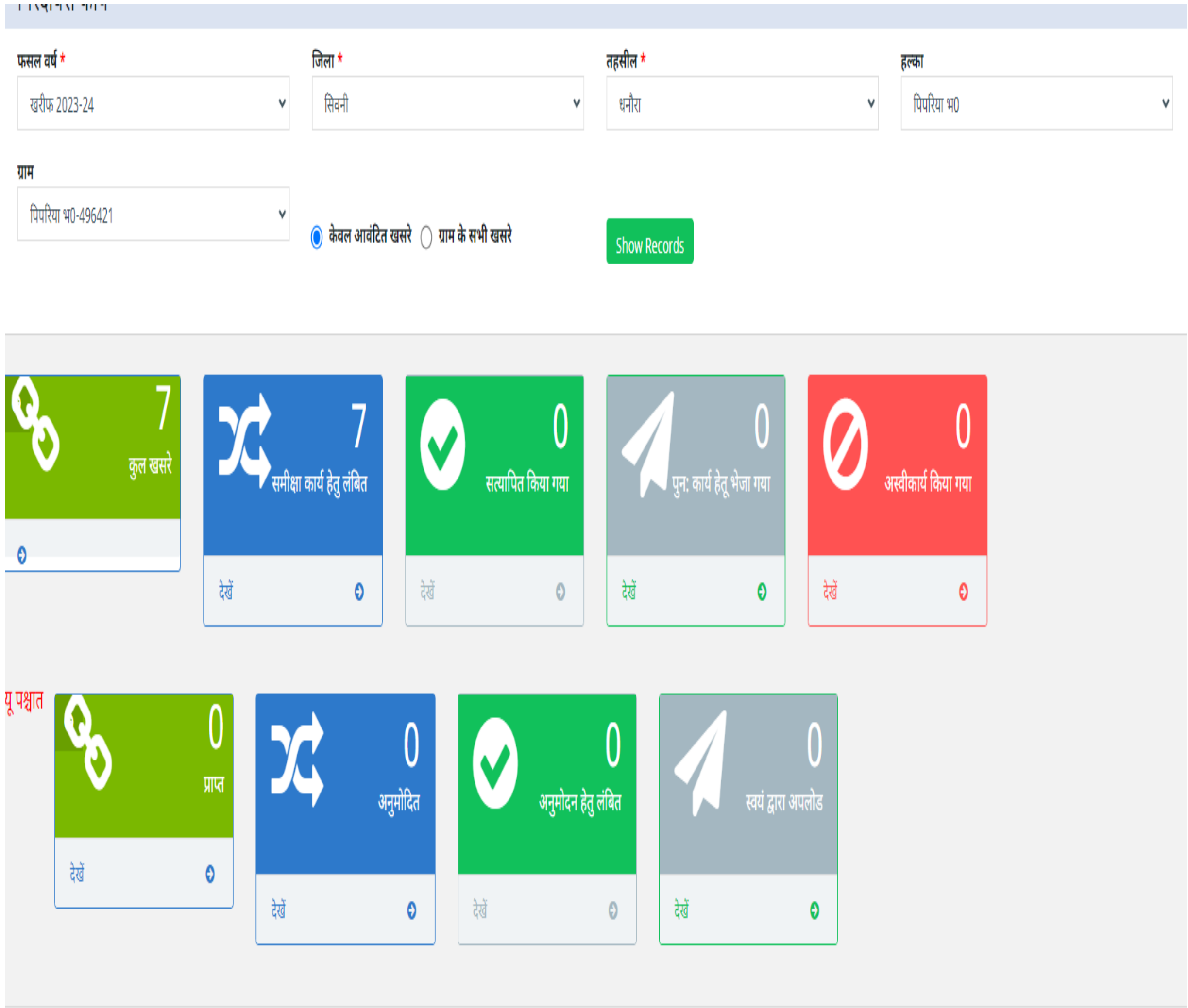

❖ डैशबोर्ड में “देखें” बटन पर क्लिक करने के उपरांत डिटेल्स नीचे दिए गए ग्रिड मे दिखने लगेगी|

7 कुल खसरे

7 समीक्षा कार्य हेतु लंबित
देखें

0 सत्यापित किया गया
देखें

0 पुन: कार्य हेतू भेजा गया
देखें

0 अस्वीकार्य किया गया
देखें

रिव्यू पश्चात

0 प्राप्त
देखें

0 अनुमोदित
देखें

0 अनुमोदन हेतु लंबित
देखें

0 स्वयं द्वारा अपलोड
देखें

Action	क्रं	खसरा नंबर	भू स्वामी	खसरा क्षेत्र	भूमि का प्रकार	फसल	प्रविष्टि दिनांक
देखें	1	101	गायत्रीबाई	0.290	निजी	मक्का	31/07/2023
देखें	2	104	सरोज	0.040	निजी	मक्का	31/07/2023
देखें	3	106	प्रेमवती ,विनोद ,मनोज ,राजेश	0.390	निजी	मक्का	31/07/2023
देखें	4	108	श्याम ,कतलसिंह ,रोहलसिंह ,दिपिया	0.280	निजी	मक्का	31/07/2023
देखें	5	113	सवितलाल	0.580	निजी	धान	31/07/2023
देखें	6	114/5/2	बसंतकुमार	0.020	निजी	मक्का	30/07/2023
देखें	7	114/9	जोरवाल	2.520	निजी	मक्का	30/07/2023

- ग्रिड मे दिए गए “देखें” बटन को क्लिक करने के पश्चात सभी डिटेल्स इस प्रकार से दिखेंगी |

फसल सर्वेक्षण कार्य

ग्राम कोड	खसरा नंबर	फसल वर्ष
पिपरिया भ0 496421	101	Kharif_2023

भू स्वामी	खसरा क्षेत्र	भूमि का प्रकार
गायत्रीबाई	0.290	निजी

सर्वेयर द्वारा प्राप्त

क्रं	फसल	बुआई क्षेत्र	प्रविष्टि दिनांक	नक्शा देखें	फसल इमेज
1	मक्का	0.290	7/31/2023 2:35:25 PM	नक्शा देखें	

पटवारी द्वारा नवीन प्राप्त

पटवारी द्वारा कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ

किसान द्वारा प्राप्त

किसान द्वारा कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ

AI/ML द्वारा प्राप्त

क्रं	फसल	बुआई क्षेत्र	प्रविष्टि दिनांक
1	धान	0.290	8/30/2023 8:23:34 AM

रिजेक्ट अथवा वापस समीक्षा के लिए किये जाने पर कृपया कारण चुनें।

--चुनें--

सत्यापित करें | पुनः समीक्षा के लिए भेजें

- तहसीलदार खसरे का नक्शा, नक्शा देखें लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं| नक्शे में तहसीलदार यह सुनिश्चित कर सकते है की फसल सर्वेक्षण पार्सल लेवल जियो फेन्स के माध्यम से किया गया है |

ग्राम कोड	खसरा नंबर	फसल वर्ष
पिपरिया H0 496421	101	Kharif_2023

भू स्वामी	खसरा क्षेत्र	भूमि का प्रकार
गायत्रीबाई	0.290	निजी

सर्वेयर द्वारा प्राप्त

क्रं	फसल	बुआई क्षेत्र	प्रविष्टि दिनांक	नक्शा देखें	फसल इमेज
1	मक्का	0.290	7/31/2023 2:35:25 PM	नक्शा देखें	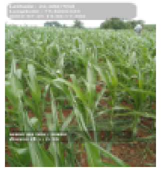

पटवारी द्वारा नवीन प्राप्त

पटवारी द्वारा कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ

किसान द्वारा प्राप्त

किसान द्वारा कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ

AI/ML द्वारा प्राप्त

क्रं	फसल	बुआई क्षेत्र	प्रविष्टि दिनांक

- नक्शा इस प्रकार से दिखेगा जिसमे फसल दर्ज के स्थान की जानकारी प्रदर्शित होगी |

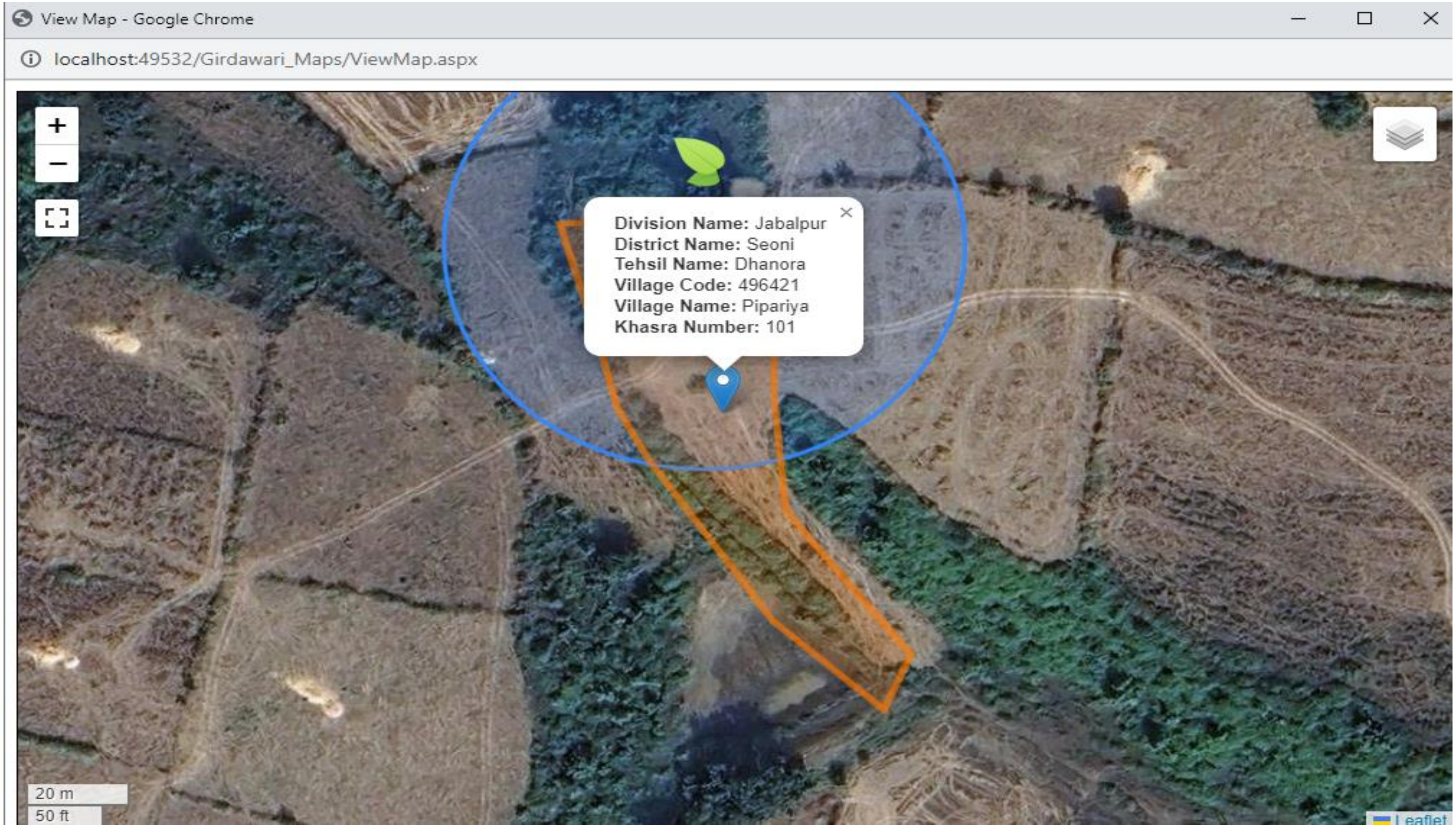

- तहसीलदार फसल सर्वेक्षण के डाटा की समीक्षा के उपरांत खसरे को रिव्यू या स्वयं द्वारा दर्ज करने हेतु निचे दिए गए आप्शन को चुनने के पश्चात कारण चुनकर यहाँ से भेज सकते हैं|
- पटवारी के डाटा से असहमति होने के उपरांत तहसीलदार को सारा मोबाईल एप में लॉगिन करके पार्सल लेवल जियो फेन्स के मध्यम फसल की जानकारी स्वयं दर्ज करनी होगी |

ग्राम कोड: पिपरिया म0 496421

खसरा नंबर: 101

फसल वर्ष: Kharif_2023

भू स्वामी: गायत्रीबाई

खसरा क्षेत्र: 0.290

भूमि का प्रकार: निजी

सर्वेयर द्वारा प्राप्त

क्रं	फसल	बुआई क्षेत्र	प्रविष्टि दिनांक	नक्शा देखें	फसल इमेज
1	मक्का	0.290	7/31/2023 2:35:25 PM	नक्शा देखें	

पटवारी द्वारा नवीन प्राप्त

पटवारी द्वारा कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ

किसान द्वारा प्राप्त

किसान द्वारा कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ

AI/ML द्वारा प्राप्त

क्रं	फसल	बुआई क्षेत्र	प्रविष्टि दिनांक
1	धान	0.290	8/30/2023 8:23:34 AM

रिजेक्ट अथवा वापस समीक्षा के लिए किये जाने पर कृपया कारण चुनें |

--चुनें--

- --चुनें--
- फसल गलत है
- फसल का क्षेत्रफल गलत है

सारा पोर्टल के माध्यम से –

वेरिफायर (तहसीलदार) द्वारा किसान दावा आपत्ति का निराकरण

सारा पोर्टल से किसान द्वारा किये गये फसल दावा /आपत्ति - स्क्रीन

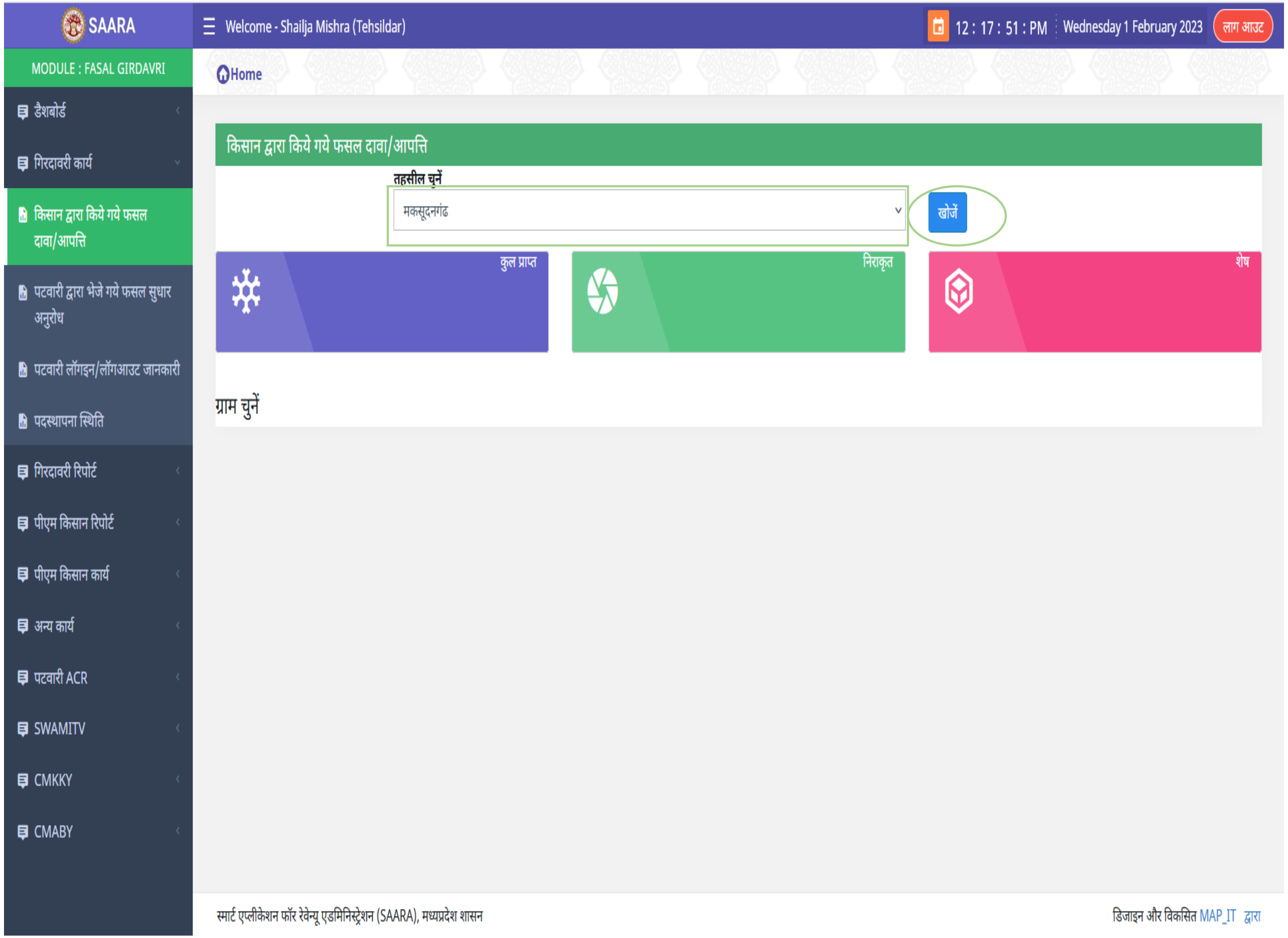

- तहसीलदार वेब जीआईएस से प्राप्त यूजर आईडी का प्रयोग कर सारा वेब पोर्टल पर लॉगिन करेंगे
- डेशबोर्ड में से किसान द्वारा किए गए दावा/ आपत्ति लिंक पर क्लिक करेंगे
- ड्राप डाउन लिस्ट में से तहसील चुनेगें और खोजे बटन पर क्लिक करेंगे

सारा पोर्टल से किसान द्वारा किये गये फसल दावा /आपत्ति - स्क्रीन

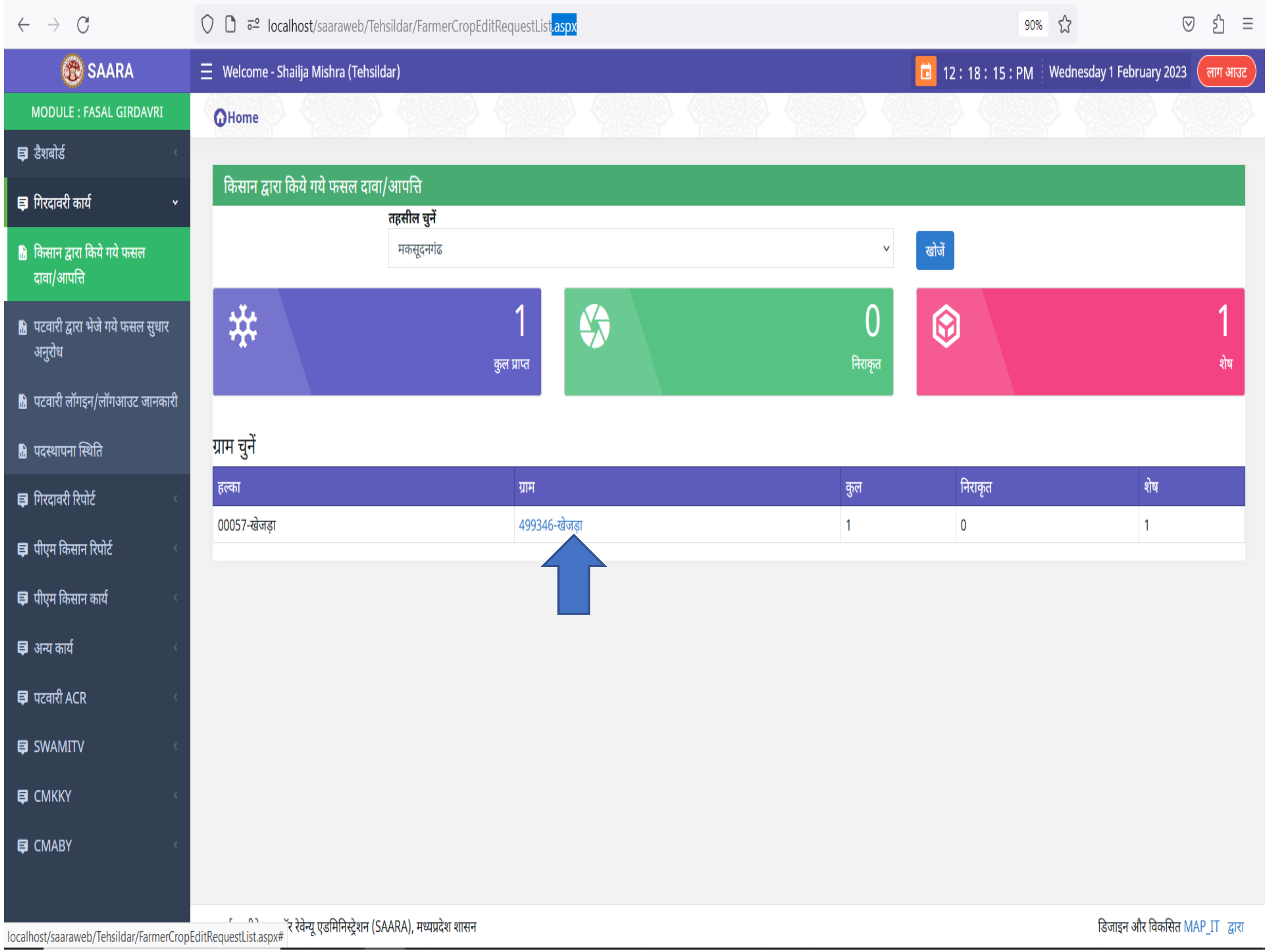

गांव का चयन करेगे

सारा पोर्टल से किसान द्वारा किये गये फसल दावा /आपत्ति - स्क्रीन

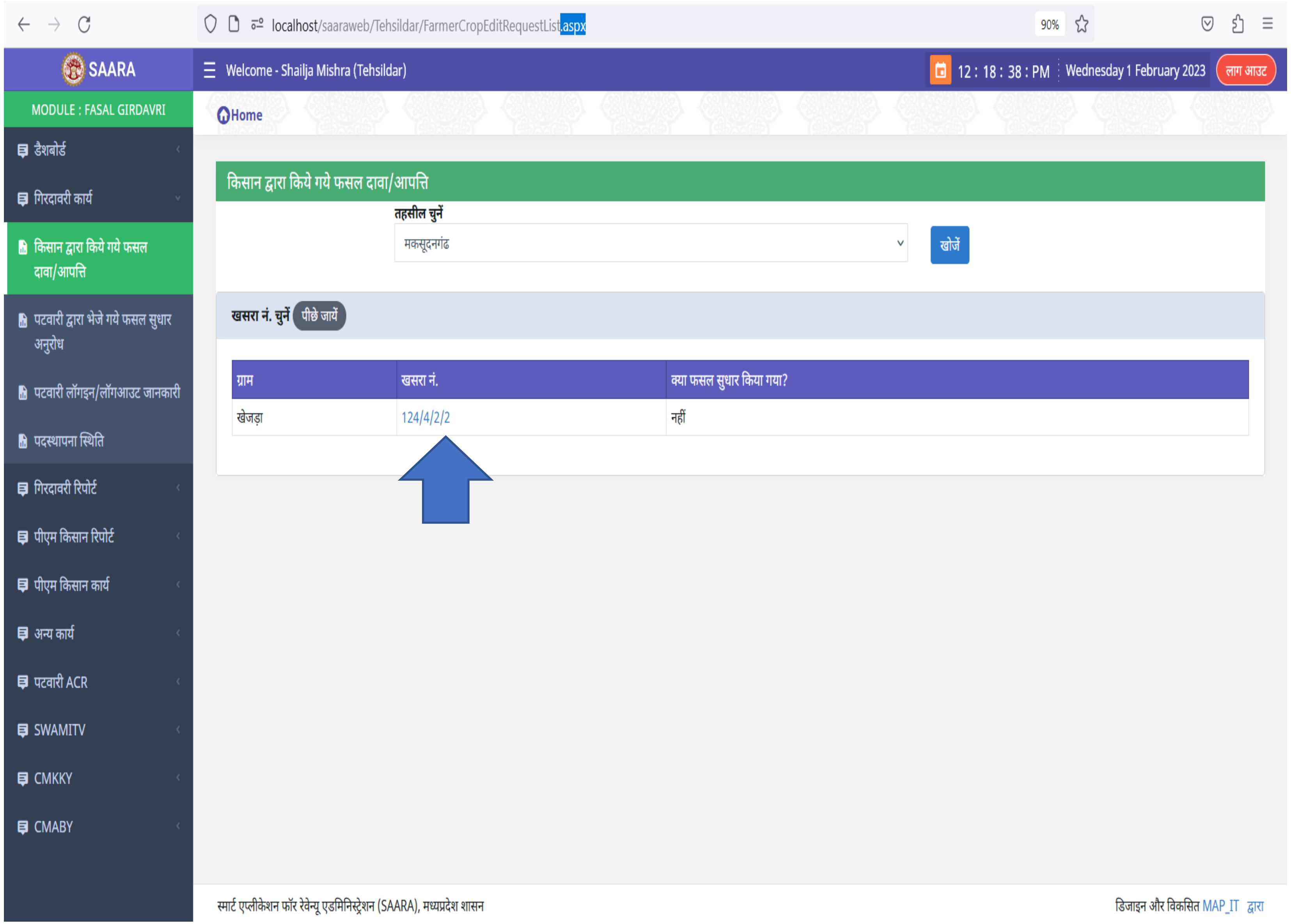

खसरे का चयन करेगे

सारा पोर्टल से किसान द्वारा किये गये फसल दावा /आपत्ति - स्क्रीन

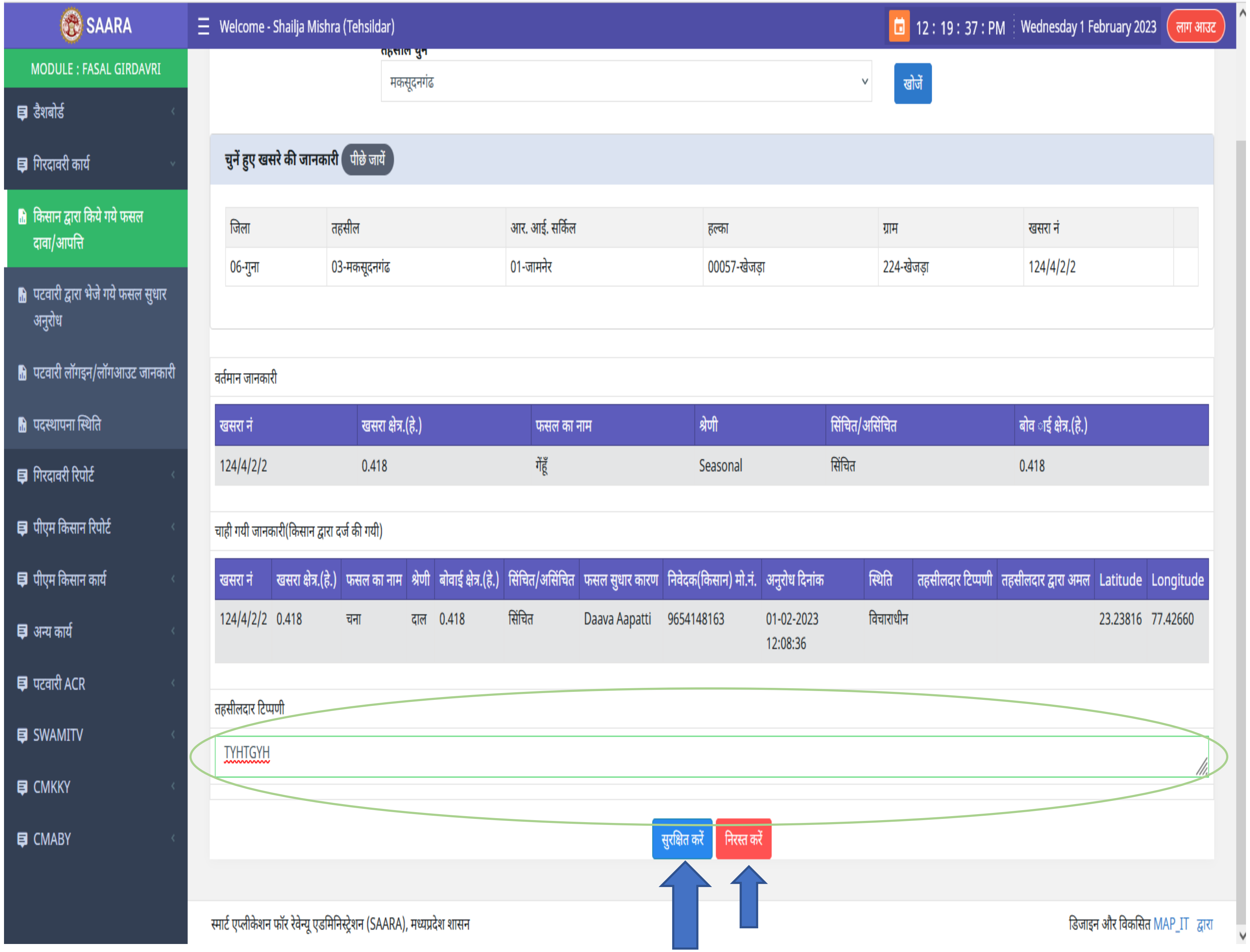

- किसान द्वारा फसल पर की गई दावा आपत्ती पर तहसीलदार अपने टिप्पणी लिखेंगे और सुरक्षित करेंगे
- किसान द्वारा फसल पर की गई दावा आपत्ती पर तहसीलदार खसरे पर जाकर निरीक्षण भी कर सकते है

सारा पोर्टल से किसान द्वारा किये गये फसल दावा /आपत्ति - स्क्रीन

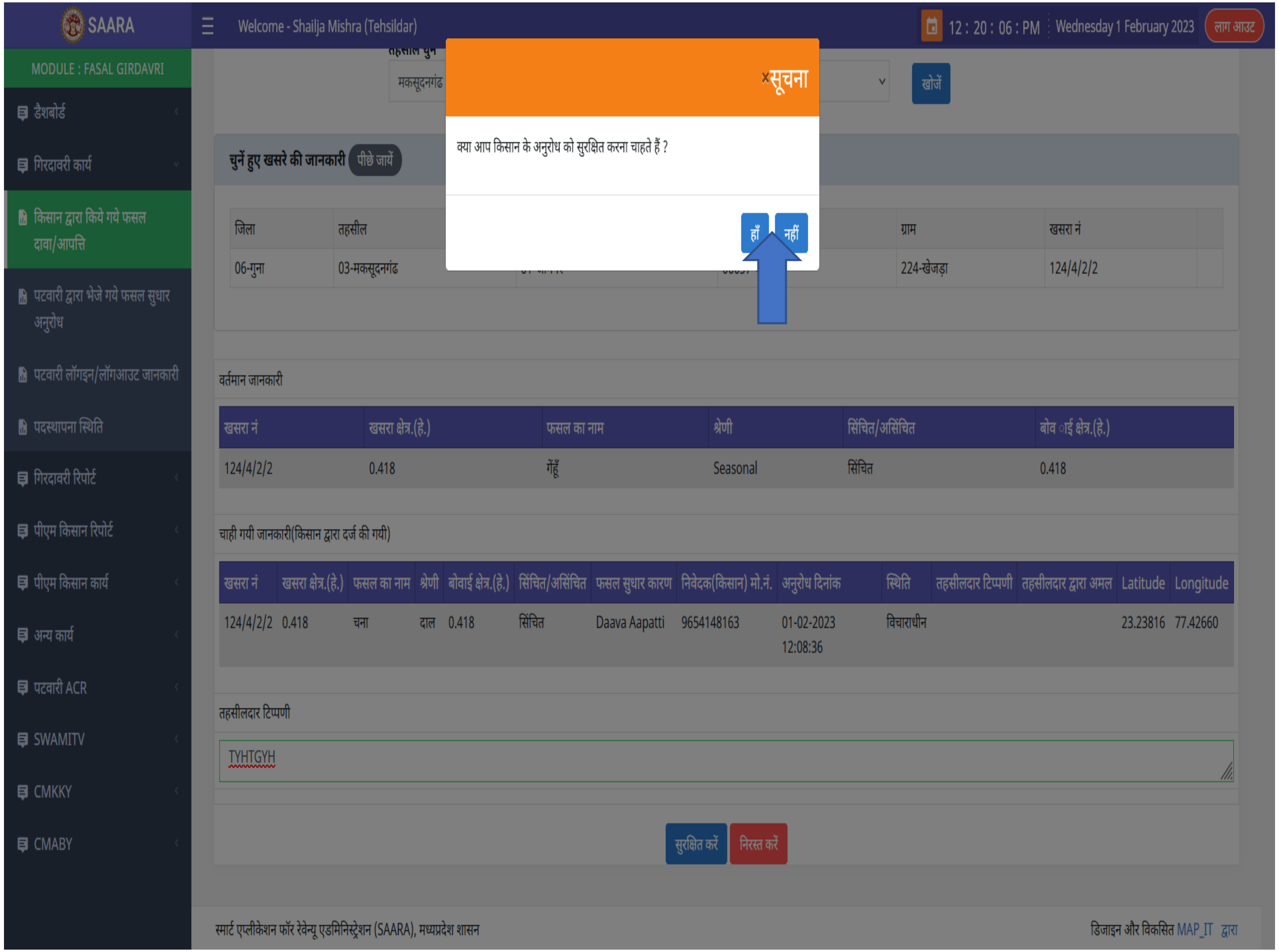

- किसान के द्वारा की गई फसल दावा आपत्ति पर निर्णय सुरक्षित करने पर पॉप अप संदेश स्क्रीन पर दिखेगा
- किसान द्वारा फ़सल पर की गई दावा आपत्ती को तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा

सारा एप के माध्यम से –

टिकट दर्ज करने की प्रक्रिया

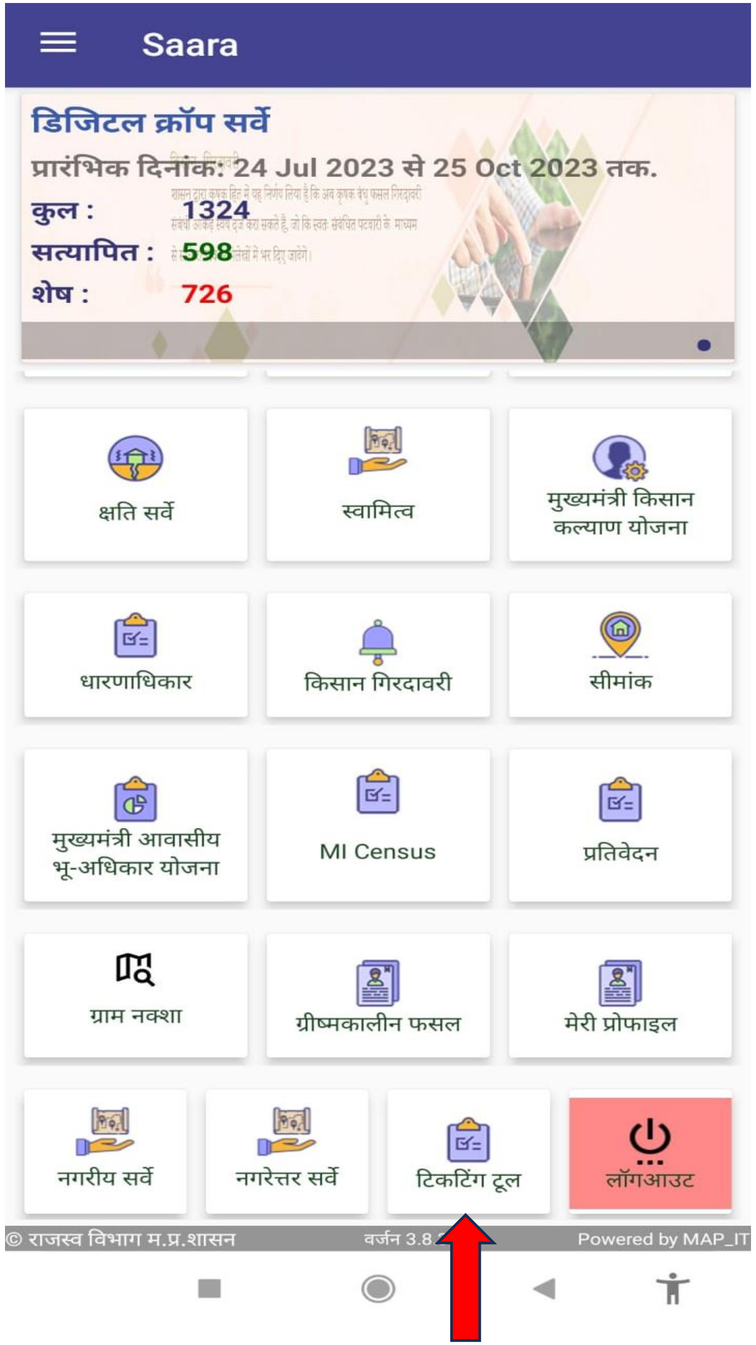

उपयोगकर्ता (सर्वेयर, सुपरवाइज़र, वेरीफायर, इन्स्पेक्शन ऑफिसर etc) सारा एप्लीकेशन में लॉगइन करेंगे !

तत्पश्चात डैशबोर्ड पर टिकटिंग टूल बटन पर क्लिक करेंगे

टिकट दर्ज करने के लिए + आइकॉन पे क्लिक करेंगे

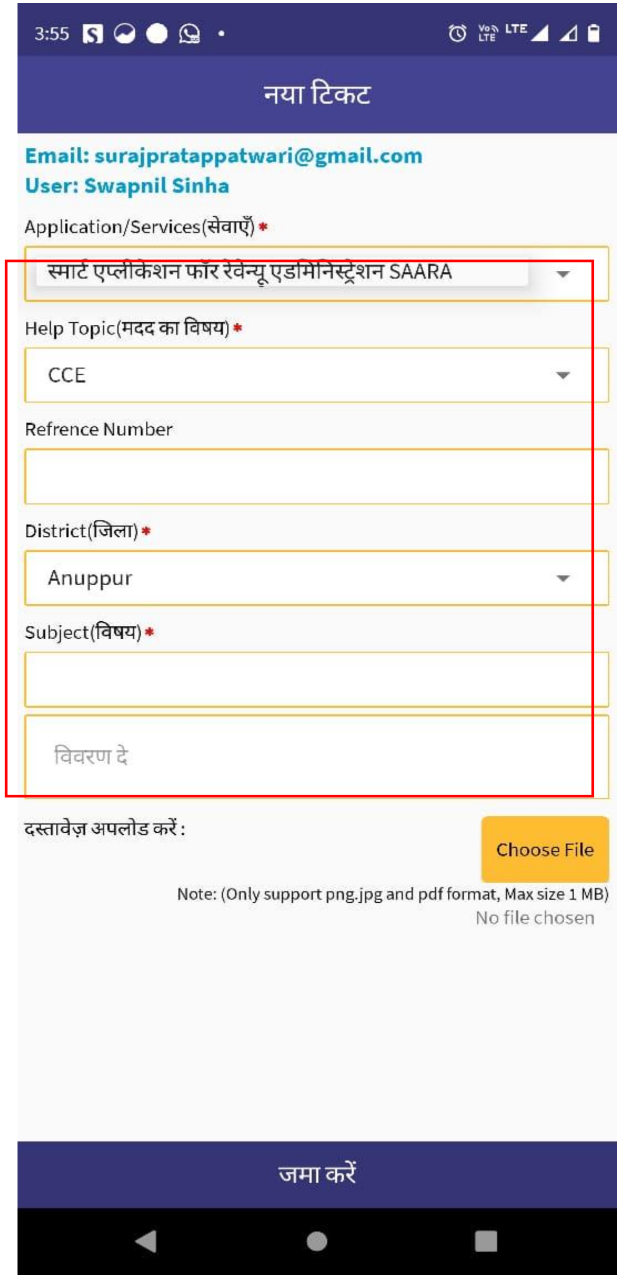

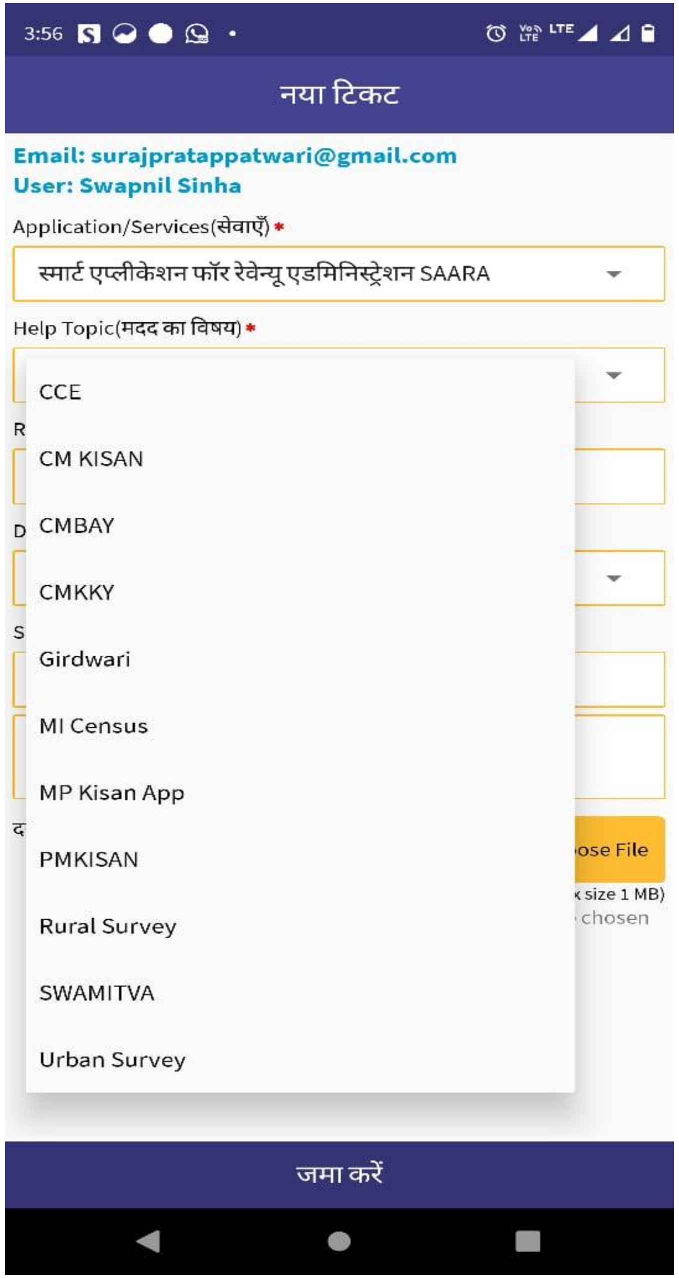

टेक्स्ट फील्ड में सेवाएं, मदद का विषय चुनेगे, रिफरेन्स नंबर (रिफरेन्स नंबर में कोई पुराना टिकट नंबर या ईमेल का सब्जेक्ट और दिनांक या “NA" भरेंगे, जिला चुनेगे, विषय भरेंगे !

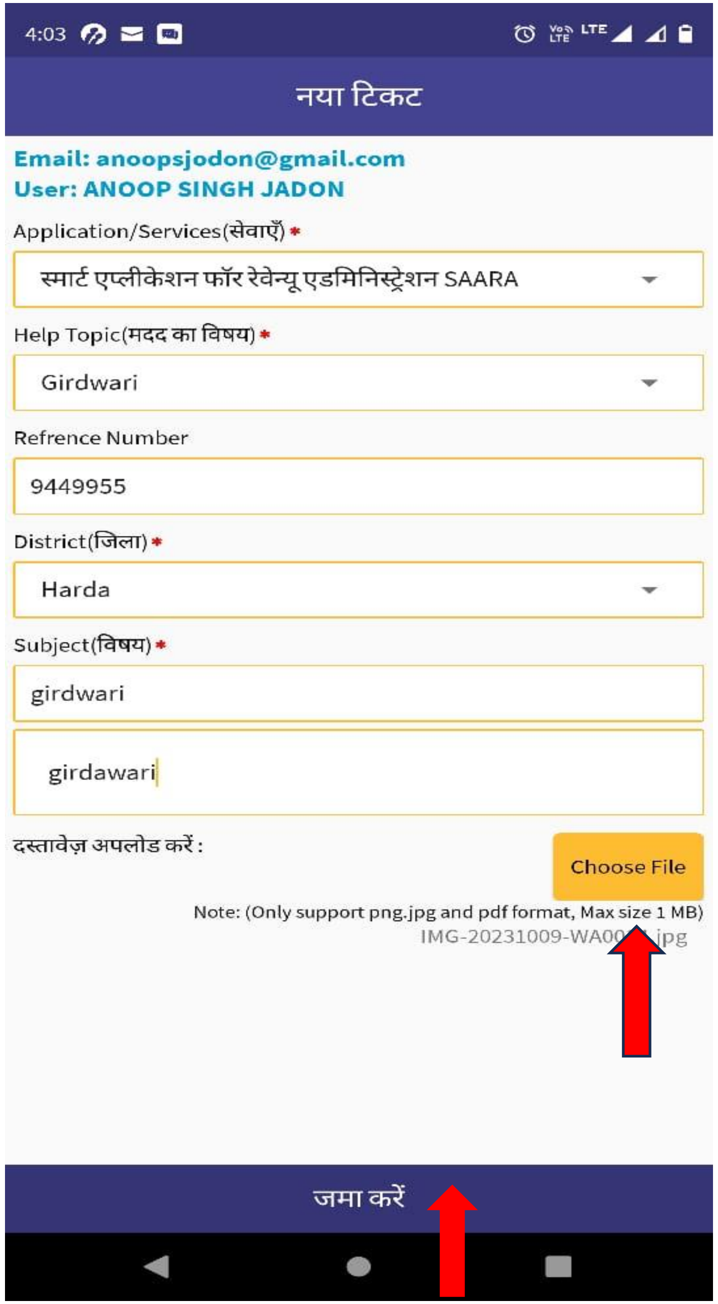

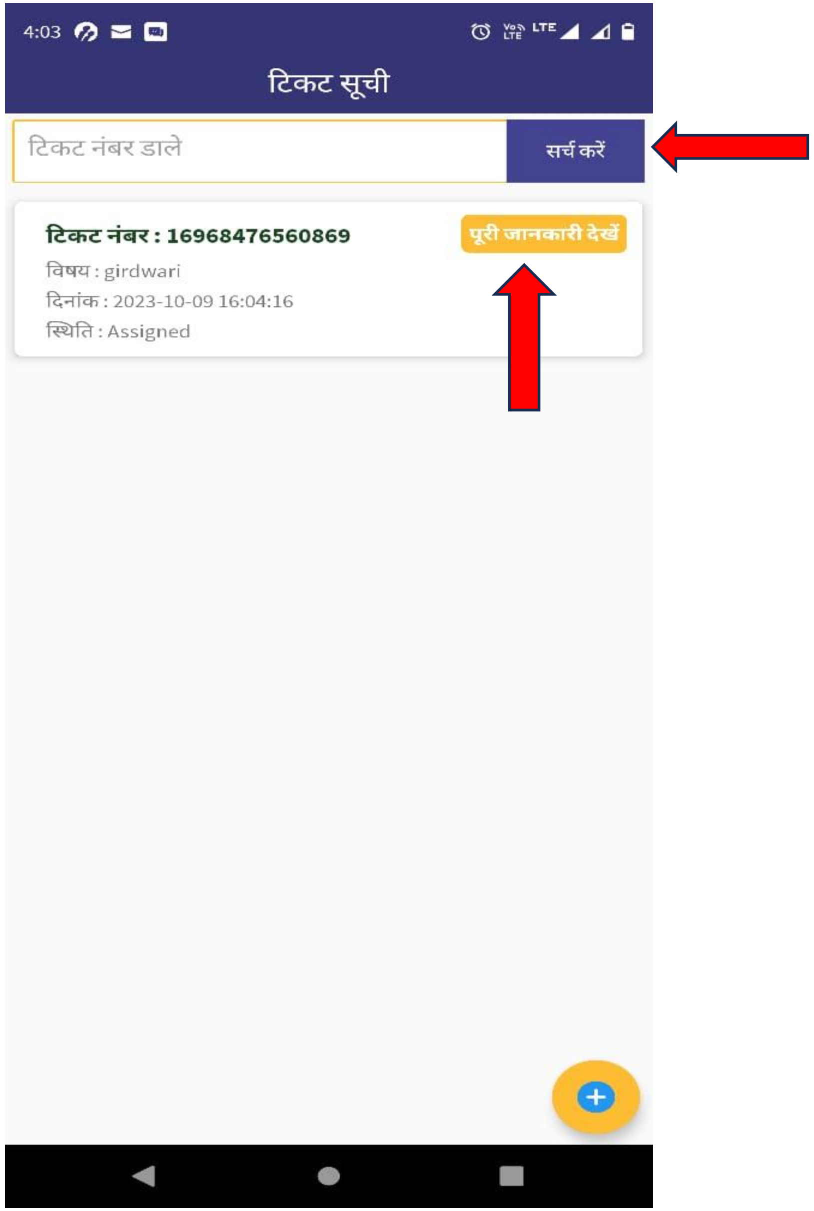

- दस्तावेज़ अपलोड करेंगे (png, jpg, pdf जो 1 mb की होनी चाहिए) उसके उपरांत जमा करे पर क्लिक करेंगे
- उपयोगकर्ता टिकट नंबर दर्ज करेंगे उसके उपरान्त सर्च बटन पे क्लिक करेंगे !
- उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए टिकट यहां दिखाए जाएंगे

उपयोगकर्ता पूरी जानकारी देखे बटन पे क्लिक करेंगे एवं जो भी जानकारी उपयोगकर्ता द्वारा भरी गयी थी यहाँ पर दिखेगी

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण – महत्वपूर्ण बिंदु

1. 181 (सी.एम्.हेल्पलाइन) में कॉल कर क्रॉप सर्वेक्षण से सम्बंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं
2. गूगल मीट लिंक **meet.google.com/yho-abta-gec** के माध्यम से कार्यालयीन समय **(सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक)** में क्रॉप सर्वेक्षण से सम्बंधित किसी भी समस्या के निराकरण हेतु जुड़ा जा सकता है
3. क्रॉप सर्वेक्षण से सम्बंधित किसी भी समस्या हेतु revenueapp.info@mp.gov.in पर मेल किया जा सकता है
4. Training Videos हेतु SAARA Portal एवं एप्प पर लिंक
5. FAQ हेतु लिंक
6. बोई गई फसल यदि सर्वेयर को ड्रॉप-डाउन में उपलबध नहीं हो उस स्थिति में क्रॉप को निम्नलिखित शीट में दर्ज़ करें:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jVXfo744Ta2L6mlE_kcYy-Vydg4_uAR4K11Y04m3S0w/edit?usp=sharing

उपलब्ध मास्टर की जानकारी उक्त लिंक में देखी जा सकती है

फसल का नाम जोड़ने हेतु फसल का अंग्रेजी नाम, हिंदी नाम, वैज्ञानिक नाम, फोनेटिक नाम लिखना अनिवार्य है

7. क्रॉप सर्वेक्षण कार्य निजी एवं सरकारी भूमि पर किया जायेगा
8. क्रॉप सर्वेक्षण कार्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में किया जायेगा
9. क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य प्रातः 6 बजे से सांय 6 बजे तक किया जायेगा
10. रिक्त भूमि दर्ज़ करने की स्थिति में वर्तमान भूमि उपयोग कृषि/ अकृषि/अन्य की जानकारी रकवा सहित दर्ज़ की जाएगी

धन्यवाद